कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़।

Mail ID- itdapakur@gmail.com

-: आम सूचना :-

समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, पाकुड़ के कार्यालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण एवं विभागीय कार्यो के निष्पादन हेतु व्यवसायिक रूप से पंजीकृत चार पहिया वाहन (टाटा सुमो/विक्टा/गोल्ड/बोलेरो एवं समकक्ष) को मासिक किराया पर रखने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक वाहन स्वामियों दिनांक–18.08.2021, 03:00 बजे अपराह्न तक सिलबन्द लिफाफा में इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित कर सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् इच्छा की अभिव्यक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित सिलबन्द लिफाफा दिनांक– 18.08.2021, 03:30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दर निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा। इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण से संबंधित नियम एवं शर्त कार्यालय अवधि में कार्यालय के सूचना पट्ट एवं www.pakur.nic.in पर देखा जा सकता है।

11/8/21

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
पाकुड़।

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़।

Mail ID- itdapakur@gmail.com

-: आम सूचना :-

(इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण से संबंधित नियम एवं शर्त)

नियम एवं शर्तें :–

1. वाहन को मासिक किराये पर रखा जायेगा एवं ईंधन की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जायेगी।
2. वाहन दो वर्षो के अंदर के मॉडल तथा व्यवसायिक रूप से पंजीकृत वाहन को ही किराये पर रखा जायेगा।
3. वाहन चालक का अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस इच्छा के अभिव्यक्ति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वाहन सही हालत में हो एवं पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त न हो।
5. वाहन झारखण्ड राज्य में पंजीकृत हो।
6. इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने वाले स्वामी के नाम से वाहन पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
7. इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि को वाहन समाहरणालय परिसर में लाना अनिवार्य होगा।
8. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
9. वाहन दुर्घटनाग्रस्त संबंधी सभी प्रकार की जवाबदेही वाहन मालिक को होगा।
10. वाहन को अच्छी हालत में रखना होगा तथा मरम्मति पर होने वाले व्यय का वहन वाहन मालिक को करना होगा।
11. वाहन स्वामी को चालक का पारिश्रमिक राशि का भुगतान एवं वाहन का रख–रखाव स्वयं करना होगा।
12. वाहन की दर स्वीकृत होने पर वाहन स्वामी को मो0 100.00 (एक सौ) रूपये मात्र के स्टाम्प पेपर पर किराये का अनुबंध पत्र भरना होगा।
13. वाहन को किसी भी समय बिना शर्त वापस करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित मासिक किराया के साथ निम्न कागजात देना अनिवार्य होगा :–

1. वाहन का मासिक किंराया चालक का पारिश्रमिक एवं GST पंजीयन के साथ सभी कर सहित.. ।
2. वाहन का पंजीकरण, वाहन बीमा प्रमाण–पत्र, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. वाहन चालक का अद्यतन् ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

(हस्ताक्षर) 1/8/21

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
पाकुड़।